


छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 हेतु मार्गदर्शिका एवं अनुदेश
खण्ड-अ **संशोधित**

1. पृष्ठभूमि:

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उप धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार कक्षा एक से आठ में अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पात्रता हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में अकादमिक एवं व्यावसायिक योग्यता के साथ-साथ प्रतिभागियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य घोषित किया गया है। इसी आधार पर राज्य में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (CGTET) का आयोजन किया जा रहा है।

2. छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान :-

- i. यह परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता मात्र होगी। इसे शिक्षकीय पद पर नियुक्ति के लिए आदेश नहीं माना जा सकता है।
- ii. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कण्डिका 2 (n) में उल्लेखित सभी शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य अर्हता होगी।
- iii. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अलग-अलग परीक्षा आयोजित होगी।
- iv. इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक पाना आवश्यक होगा।
- v. प्रचलित नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में पात्रता हेतु 50% न्यूनतम अंक लाना आवश्यक होगा। सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क एवं परीक्षा शुल्क में छूट की पात्रता होगी। (छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश कमांक एफ14-95/2011/20-तीन दिनांक 14/12/2011)
- vi. इस परीक्षा में प्राप्त अंक शिक्षक चयन के लिए अधिभार के रूप में गणना के लिए उपयोग में लाए जा सकेंगे। अधिभार का निर्धारण नियुक्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा।
- vii. एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता आजीवन रहेगी।
- viii. सफल घोषित उम्मीदवार अपने अंक सुधार हेतु आगामी परीक्षा में शामिल हो सकता है।
- ix. परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में एक पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा जिसे नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अन्य अभ्यर्थियों को केवल अंक पत्रक दिया जाएगा।



3. छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु न्यूनतम अर्हताएँ :-

- (i) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापन हेतु अलग-अलग शिक्षक पात्रता परीक्षाएँ आयोजित होंगी। इन परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हता इस प्रकार हैं:-

(1) एक से पाँच तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु

- (क) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो) के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो) जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रिया विधि) विनियम, 2002 के अनुसार हो, के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.) के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण।


अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो) के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण

अथवा

“50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी.एड.) के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण”

जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से शिक्षा-स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उस पर कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।



(2) कक्षा छः से आठ तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु :-

(क) स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो) के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण ।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक(बी.एड.) अथवा द्विवर्षीय स्नातक (बी.एड.) के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण ।

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय बी.एड. उत्तीर्ण अथवा द्विवर्षीय स्नातक(बी.एड.) के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो ।

अथवा


न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड) के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण ।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी.एड. या बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड. के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण ।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एकवर्षीय स्नातक बी.एड..(विशेष शिक्षा) अथवा द्विवर्षीय बी.एड.(विशेष शिक्षा) के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण ।



नोट:-

- (अ) आरक्षित श्रेणियों जैसे अ.जा./अनु.ज.जा/अ.पि.व.(गैर क्रीमी लेयर)/विशेष रूप से दिव्यांग आदि के अभ्यर्थियों को अर्हक अंकों में 5% अंकों तक की छूट दी जाएगी।
- (आ) **अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम** : इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षाशास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बीएड (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया) द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा।
- (इ) **विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना** : वह व्यक्ति जिसके पास डी.एड (विशेष शिक्षा)या बी.एड.(विशेष शिक्षा) की योग्यता है,उसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त छः माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (ई) ऊपर निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताएं भाषा, सामाजिक अध्ययन/सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान इत्यादि के शिक्षकों के लिए लागू हैं। शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के संबंध में एनसीटीई विनियम, दिनांक 3 नवम्बर 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता मानदण्ड लागू होंगे। कला शिक्षा, शिल्प शिक्षा, गृह विज्ञान, कार्य शिक्षा इत्यादि के शिक्षकों के लिए राज्य सरकार और अन्य विद्यालय प्रबंधनों द्वारा निर्धारित वर्तमान पात्रता मानदण्ड तब तक लागू रहेंगे जब तक एनसीटीई ऐसे शिक्षकों के संबंध में न्यूनतम योग्यता निर्धारित करती है।
- (उ) एनसीटीई अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई, 2011 में वर्णित किसी भी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम (एनसीटीई अथवा आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त, जैसा भी मामला हो) को करने वाला व्यक्ति सीजीटीईटी में शामिल होने के पात्र होगा।
- (ऊ) ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास उपर्युक्त योग्यता नहीं होगी, सी.जी.टी.ई.टी. में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा।

Dhany

(ए) अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता से पूर्णतया संतुष्ट होना चाहिए और यदि वह दिए गए योग्यता मानदण्ड के अनुसार आवेदन के लिए योग्य नहीं है तो इसके लिए वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा । इस ओर ध्यान दिया जाए कि यदि किसी अभ्यर्थी को सी.जी.टी.ई.टी में बैठने की अनुमति दे दी गई है तो इसका यह अर्थ नहीं लिया जाए कि अभ्यर्थी की पात्रता प्रमाणित हो गई है। इससे अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं मिलता है। पात्रता संबंधित भर्ती एजेन्सी/नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित की जाएगी।

Delhi

खंड ब
छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु संरचना और विषयवस्तु :-

1. शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प दिए जाएंगे ।
2. प्रत्येक परीक्षा दो घंटे तीस मिनट की अवधि की होगी जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे । प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा । गलत उत्तरों पर नेगेटिव अंक का प्रावधान नहीं होगा ।
3. प्रथम पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है। द्वितीय पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है।

नोट:- ऐसा व्यक्ति जो दोनों स्तर (कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक) के लिए शिक्षक बनना चाहता है, को दोनों पेपरों (प्रथम एवं द्वितीय) में बैठना होगा।

4. सभी प्रश्न दो भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) में पूछे जाएंगे ।
5. प्रथम भाषा हिन्दी और द्वितीय भाषा अंग्रेजी होगी ।
6. दोनों पेपर के लिए निर्धारित विषय एवं अंक इस प्रकार हैं:-

प्रथम पेपर (कक्षा एक से पाँच तक अध्यापन -पात्रता हेतु) सभी अनिवार्य

परीक्षा की अवधि 2:30 घंटे

1.बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र	30 बहु-विकल्पीय प्रश्न	30 अंक
2.भाषा -1(हिन्दी)	30 बहु-विकल्पीय प्रश्न	30 अंक
3.भाषा - 2 (अंग्रेजी)	30 बहु-विकल्पीय प्रश्न	30 अंक
4.गणित	30 बहु-विकल्पीय प्रश्न	30 अंक
5.पर्यावरण अध्ययन	30 बहु-विकल्पीय प्रश्न	30 अंक
कुल -	150 बहु-विकल्पीय प्रश्न	150 अंक

DLM

द्वितीय पेपर (कक्षा छः से आठ तक अध्यापन-पात्रता हेतु) सभी अनिवार्य

परीक्षा की अवधि 2:30 घंटे

1.बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र	30 बहु-विकल्पीय प्रश्न	30 अंक
2.भाषा - 1 (हिन्दी)	30 बहु-विकल्पीय प्रश्न	30 अंक
3.भाषा - 2 (अंग्रेजी)	30 बहु-विकल्पीय प्रश्न	30 अंक
विषय आधारित परीक्षा (इनमें से कोई एक)		
4.गणित एवं विज्ञान विषय (गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए)	60 बहु-विकल्पीय प्रश्न	60 अंक
5.सामाजिक अध्ययन विषय (सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए)	60 बहु-विकल्पीय प्रश्न	60 अंक
*अन्य कोई विषय शिक्षक हेतु	4 या 5 से कोई भी	60 अंक
कुल -	150 बहु-विकल्पीय प्रश्न	150 अंक

प्रश्न-पत्र की प्रकृति एवं स्तर

प्रथम पेपर (कक्षा एक से पाँच तक अध्यापन हेतु)

1.बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र

इस विषय से संबंधित प्रश्न 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतःक्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण प्रविधियों, तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

2. भाषा - 1 (हिन्दी)

इस प्रश्नपत्र के माध्यम से शिक्षकों की भाषाई दक्षता, समझ एवं संप्रेषण कौशल के साथ-साथ दैनिक जीवन में भाषा के उपयोग का परीक्षण किया जा सकेगा। विभिन्न विषयों

Delhi

के अध्यापन में उस भाषा की मूलभूत जानकारी होना आवश्यक है जिसको पढ़ाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण से इस विषय को अनिवार्य विषय के रूप में इस परीक्षा में रखा गया है।

3. भाषा -2 (अंग्रेजी)

इस प्रश्नपत्र के माध्यम से शिक्षकों की अंग्रेजी में भाषाई कौशल, समझ एवं संप्रेषण कौशल से संबंधित जानकारियों पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकेंगे। प्रश्नपत्रों को प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन के स्तर को ध्यान में रखते हुए कक्षा 12 तक के स्तर से तैयार किया जाएगा।

4. गणित

गणित में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य इस विषय के सिद्धांतों, समस्याओं एवं इनकी शिक्षाशास्त्रीय समझ की जाँच करना होगा। ये प्रश्न कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। विषय संबंधी विभिन्न पाठ्यवस्तुओं को बच्चों तक किस प्रकार सफलतापूर्वक पहुँचाया जाए और विभिन्न परिस्थितियों में कक्षागत शिक्षण प्रक्रियाओं की जानकारी की समझ आधारित प्रश्न पूछे जा सकेंगे।

5. पर्यावरण अध्ययन

पर्यावरण अध्ययन विषय में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य इस विषय के सिद्धांतों, समस्याओं एवं इनकी शिक्षाशास्त्रीय समझ की जाँच करना होगा। ये प्रश्न कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे परंतु उनसे जुड़े कक्षा 12 वीं तक के स्तर के प्रश्न पूछे जा सकेंगे। इस प्रश्नपत्र के माध्यम से शिक्षकों के अपने आसपास के वातावरण की जानकारी, उनके माध्यम से बच्चों में विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर समझ एवं अनुप्रयोग की जानकारी देने के कौशल एवं अपने आसपास के पर्यावरण में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का अपने सूझ के साथ बेहतर उपयोग कर पाने के कौशलों की जाँच की जा सकेगी।

द्वितीय पेपर (कक्षा छः से आठ तक अध्यापन हेतु)

1. बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र

इस विषय से संबंधित प्रश्न 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं

Delhi

के आधार पर शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतःक्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण प्रविधियों, तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे ।

2. भाषा - 1 (हिन्दी)

इस प्रश्नपत्र के माध्यम से शिक्षकों की भाषाई दक्षता, समझ एवं संप्रेषण कौशल के साथ-साथ दैनिक जीवन में भाषा के उपयोग का परीक्षण किया जा सकेगा । विभिन्न विषयों के अध्यापन में उस भाषा की मूलभूत जानकारी होना आवश्यक है जिसको पढ़ाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है । इस दृष्टिकोण से इस विषय को अनिवार्य विषय के रूप में इस परीक्षा में रखा गया है ।

3. भाषा - 2 (अंग्रेजी)

इस प्रश्नपत्र के माध्यम से शिक्षकों के अंग्रेजी में भाषाई कौशल, समझ एवं संप्रेषण कौशल से संबंधित जानकारियों पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकेंगे । प्रश्नपत्रों को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन के स्तर को ध्यान में रखते हुए कक्षा 12 तक के स्तर से तैयार किया जाएगा ।

अन्य विषय

4 विज्ञान एवं गणित

विज्ञान एवं गणित में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य इस विषय के सिद्धांतों, समस्याओं एवं इनकी शिक्षाशास्त्रीय समझ की जाँच करना होगा । ये प्रश्न कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे परंतु इनसे जुड़े स्नातक स्तर तक की सामग्री की जाँच भी इस प्रश्नपत्र के माध्यम से की जा सकेगी । विषय संबंधी विभिन्न पाठ्यवस्तुओं को बच्चों तक किस प्रकार सफलतापूर्वक पहुँचाया जाए और विभिन्न परिस्थितियों में कक्षागत शिक्षण प्रक्रियाओं की जानकारी की समझ आधारित प्रश्न पूछे जा सकेंगे ।

5. सामाजिक अध्ययन

सामाजिक अध्ययन विषय में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य इस विषय के सिद्धांतों, समस्याओं एवं इनकी शिक्षाशास्त्रीय समझ की जाँच करना होगा । ये प्रश्न कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे परंतु उनसे जुड़े स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जा सकेंगे । इस प्रश्नपत्र के माध्यम से शिक्षकों के अपने आसपास के वातावरण की जानकारी, उनके माध्यम से बच्चों में विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर समझ एवं अनुप्रयोग की जानकारी देने के कौशल एवं अपने आसपास के पर्यावरण में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का अपनी सूझ के साथ बेहतर उपयोग कर पाने के कौशलों की जाँच की जा सकेगी ।

Delhi